संख्या–648/क0नि0प्र0/26–3–2010–11(25)/85

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
महानगर, लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊः दिनांकः 31 मई,2010

विषयः– नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना की निर्धारित लागत में बृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या–1958 दिनांक 04–09–2009 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी स्वयं की भूमि पर नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित दुकान निर्माण लागत की दरों में संशोधन करते हुए कालम सं0–4 के अनुसार निम्न दरों पर दुकान निर्माण किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः–

क्रमसं0	मिट्टी का नाम	निर्धारित प्रति दुकान निर्माण लागत (रूपये में)	संशोधित प्रति दुकान निर्माण लागत (रूपये में)
1	2	3	4
1.	साधारण मिट्टी	38000/–	78000/–
2.	लवणयुक्त मिट्टी	40700/–	85000/–
3.	काली मिट्टी	42000/–	82000/–

2– दुकानों का निर्माण व्यवसायिक दृष्टि से विकसित स्थलों पर कुर्सी क्षेत्रफल बारामदा सहित 13.32 वर्ग मीटर के आधार पर लाभार्थी की स्वयं की भूमि पर कराया जायेगा।

3– उपर्युक्त निर्माण लागत में रू0 10000/– अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसकी वसूली शासनादेश संख्या–2462/स्पे0कम्पो0 /26–3–88–11(25)/85 दिनांक 21 अक्टूबर,1988 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार 120 समान किस्तों में लाभार्थी से की जायेगी। वसूली के सम्बन्ध में एक पृथक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें लाभार्थीवार वसूली की धनराशि इंगित की जायेगी। ऋण राशि की वसूली तथा अनुदान राशि के सदुपयोग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

4– दुकान निर्माण की धनराशि लाभार्थी/सहायक विकास अधिकारी(स0क0) के संयुक्त खाते में रखी जायेगी, दुकान निर्माण पूर्ण हो जाने की दशा में अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/सहायक प्रबन्धक द्वारा लाभार्थी की पत्रावली पर एक टिप्पणी अंकित की

2....

जायेगी कि **"मैने दुकान को भली–भाँति देख लिया है और वह निर्धारित मानकों के अनुसार बनी है, यदि भविष्य में कोई अनियमितता पाई जायेगी तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।"**

5– उक्त योजना में बिना ब्याज ऋण की वसूली सहायक विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) द्वारा लक्ष्यानुसार की जायेगी तथा उसे अनुगम के जिला कार्यलय में जमा किया जायेगा। व्याजमुक्त ऋण की वसूली के लिए इन अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर दिये जायेगे जिसकी मासिक समीक्षा अनुगम मुख्यालय / जिला स्तर पर की जायेगी और उसकी सूचना निदेशक समाज कल्याण एवं शासन को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी। जिन अधिकारियों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जायेगी उसके सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निदेशक समाज कल्याण विभाग को सूचित करेगें और निदेशक, समाज कल्याण द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। वसूली के रूप में निगम को जो धनराशि प्राप्त होगी उसे निगम द्वारा रिवालविंग फण्ड के रूप में प्रश्नगत योजनान्तर्गत व्यय किया जायेगा। उक्त दरें शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

6– योजनान्तर्गत शेष शर्ते पूर्वत रहेगी तथा इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दुकान निर्माण लागत सम्बन्धी शासनादेश सं0–608 / क0नि0प्र0 / 26–3–98–11(25) / 85 दिनांक 16 मार्च, 1998 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–ई–3 / 872 / दस–2010 दिनांक 11 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव।

संख्या–648 (1) / क0नि0प्र0 / 26–3–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (सक) / पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।
5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0
6– महालेखाकार, लेखा प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7– वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8– नियोजन अनु0–3 / वित्त (ई–3) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।